

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प २(२०)त.शि / २०१२

जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2012

राजस्थान,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड़,
कोटा।

विषय - शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में वर्षावार शुल्क लेने वाले गैर अनुदानित अधियाचिकी महाविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

प्रतीक्षा,

सामर्यकृत विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्र क्रमांक : एफ १४(५)त.शि / २००४ दिनांक ५.८.२०११ के द्वारा गैर अनुदानित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवित्त विद्यार्थियों से निर्धारित अन्तरिम शुल्क संरचना के अनुसार सेमेस्टरवार शुल्क लिया जाना था। लेकिन कुछ संस्थानों द्वारा जवरन विद्यार्थियों से पूर्ण वार्षिक शुल्क एकसाथ वसूला जाया है। अतः ऐसे समस्त संस्थानों के विरुद्ध निर्भानुसार कार्यवाही की जाये।

- प्रति संस्थान राशि रुपये 10.00 लाख का वित्तीय दण्ड भरने हेतु निर्देशित किया जावे।
- संस्थानों को इस प्रकार की अवहेलना के लिए भविष्य में सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने का भी नोटिस दिया जावे।

नम्बर इसकी पालना किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे तथा आपके द्वारा नी गई कार्यवाही से राज्य सरकार को सूचित करे।

मर्यादीय,

(आर.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त.शि.

26.3.12